(घ) किसानों को किए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं:

(1) न्यूनतम समर्थन मूल्य/खरीद मूल्य प्रोत्साहन स्तर पर निर्धारित किए जा रहे हैं।

(2) किसानों को उर्वरक कम और रियायती दामों पर बेचे जाते हैं।

(3) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य 1981 में निर्धारित किए गए स्तर पर हैं। डीजल आयल के मूल्यों में लगभग कोई परिवतन नहीं हुआ है। बिजली और सिंचाई के पानी की दरों पर बहुत भारी रियायत है।

(4) उर्वरकों की ढुलाई पर भाड़े में छूट दी जाती है।

(5) कृषि ऋण रियायती दरों पर दिए जाते हैं।

(6) विभिन्न अभिवृद्धि (थ्रस्ट) कार्यक्रमों के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

*369. [*Transferred to the 9th August, 1989*]

Setting up of a steel plant in Assam

*370. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for the setting up of a steel plant in Assam; and

(b) if so, by when it is likely to be set up?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और समुदायों को शामिल किया जाना

*371. **श्री अजीत जोगी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में समाज के कुछ और समुदायों को भी शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है और क्या इस प्रयोजना के लिए जनता के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है परन्तु कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी संशोधन के प्रस्तावों पर अपनाए जाने वाले मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से कार्रवाई की जाती है।